न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—326/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—90/26
बिहार राज्य बनाम् कवि कुमार एवं अन्य।

आलोक कुमार पासवान, पे0—भीम पासवान, उम्र लगभग 22 वर्ष,
साकिन—विद्यापुर, थाना—अरियरी, जिला—शेखपुरा।..आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री गौरव कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

06.05.2026 काराधीन अभियुक्त आलोक कुमार पासवान की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 11.03.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड सं0—90/26 के अंतर्गत 30(a), 56(b) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a), 56(b) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक के सचेत कब्जे से किसी भी प्रकार का शराब बरामद नहीं किया गया है, केवल आरोपी कवि कुमार के बयान के आधार झूठा फंसाया गया है। इस मामले में पुलिस के अलावा अन्य कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक को श्रीमान के द्वारा जमानत की सुविधा उपलब्ध होने पर फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक श्रीमान के द्वारा जितनी राशि का बंध पत्र देने का आदेश होगा उतनी राशि का बंध पत्र देने को तैयार है। आवेदक श्रीमान के द्वारा जो भी आदेश होगा उसका पालन करने को तैयार है। आवेदक दिनांक 11.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–326/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–90/26
बिहार राज्य बनाम् कवि कुमार एवं अन्य।

लगातार

06.05.2026

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना दिनांक 15.02.2026 को समय करीब 01:25 PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि कवि कुमार, पिता–अलखदेव यादव जो अपने टोटो ई–रिक्शा से चुलाई शराब की बिक्री हेतु विद्यापुर गॉव पहुंचाने वाला है। ससमय छापामारी करने पर शराब के साथ गिरफ्तारी की जा सकती है। सूचना के सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचना से अवगत कराकर एक छापामारी दल का गठन कर, जिसमें मद्यनिषेध सिपाही, गृहरक्षक सिपाही तथा सैप बल के जवानों को शामिल कर सूचना अनुरूप समय करीब 02:35 PM बजे अरियरी थाना अंतर्गत अरहा–शेखपुरा मुख्य मार्ग भारत पेट्रोल पम्प के पास अपनी छापेमारी वाहन को छिपाते हुए आते–जाते हुए वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। समय करीब 02:40 PM में एक व्यक्ति टोटो ई–रिक्शा से आता नजर आया, जिसे रूकने का ईशारा किया, किन्तु वह घ ाबड़ाकर टोटो ई–रिक्शा तेजी से भगाने का प्रयास करने लगा, इसी बीच छापेमारी दल में शामिल सिपाही एवं गृहरक्षक बल द्वारा उसे धड़–दबोचा एवं नाम पता पूछने पर उसने अपना कवि कुमार, पे0–अलखदेव यादव बताया। तत्पश्चात तलाशी नियमों का विधिवत पालन करते हुए नियमानुसार कवि कुमार एवं टोटो रिक्शा से 25.000 लीटर देशी चुलाई शराब से बरामद किया गया। बरामद किया गया चुलाई शराब के संबंध में कवि कुमार से पूछताछ करने पर बताया गया कि ये शराब आलोक कुमार पासवान, पिता–भीम पासवान, सा0–विद्यापुर, थाना अरियरी, जिला–शेखपुरा का है, जिसे मैं पहुंचाने जा रहा था। विधिवत नियमों का पालन करते हुए जप्ती सूची में अंकित किया गया।

अभिलेख का अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a), 56(b) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। आवेदक दिनांक 11.03.2026 से काराधीन है। आवेदक के विरूद्ध घटनास्थल से कुल 25.000 लीटर चुलाई शराब बरामद होने का आरोप है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—326/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—90/26
बिहार राज्य बनाम् कवि कुमार एवं अन्य।

लगातार

06.05.2026 जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे—संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि——

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. आवेदक के विरूद्ध आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

प्र0— अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 06—05—2026.

Date of Judgment/ Order	06—05—2026
Date of Reserving Judgment/Order	06—05—2026
Uploading Date	07—05—2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.